

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर, सिणधरी

क्रमांक:- ग्रा. से.शि / 2025 / 405

प्रकरण सं.:-
दिनांक:- 27.10.25

आदेश

पार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी जूनानी/खेत व भू.अ.
नि. सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम भारा
तहसील सिणधरी व जिला बालोतरा की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में खाता संख्या 207 व
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	<u>भारा</u>	<u>207</u>	<u>781/1</u>	<u>जगदीशसिंह</u>	<u>जगमलसिंह</u>
		<u>98</u>	<u>787/4</u>	<u>खेतसिंह</u>	<u>खेतसिंह</u>

समदरसिंह
(समदरसिंह भाटी)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी

दिनांक:- 27.10.2025

क्रमांक:- सम. / 2025 / 406-408
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पार्थी रिपोर्ट उपलब्ध करायें।
जगमल सिंह / खेतसिंह भारा
2. प्राथी तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।



समदरसिंह
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी